रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2002/चैत्र 5, 1924
No. 294] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2002/CHAITRA 5, 1924

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2002

का.आ. 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन विजय व्यापार चेम्बर लि., मुजफ्फरनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदा के बारे में 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता का नवीकरण करती है।

2. एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्यधीन दी जाती है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[फा. सं. 12/17/आई टी/2001]

कल्याण रायपुरिया, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2002

S.O. 338(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Vijai Beopar Chamber Ltd, Muzaffarnagar and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest to do so, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from 1st April, 2002 to 31st March, 2003 in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/17/IT/2001]

KALYAN RAIPURIA, Economic Adviser

1017 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.